विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम, दुर्ग

दुर्ग क्षेत्रीय कार्यालय, रायपुर नाका दुर्ग

क्रमांक / विउशिनिफोदु / 2026 / 286

दुर्ग, दिनांक - 02/09/26

(अध्यक्ष – श्री पी. वी. सजीव)
(सदस्य – श्रीमती ममता कश्यप)
प्रकरण क्रमांक – 153
दिनांक – 08 / 05 / 2026

प्रति,

श्रीमती खुशबू साहू, पति श्री सौरभ साहू
सुंदर नगर, बेमेतरा (छ.ग.)
बी.पी. नं. 1000027118

अनावेदक

विरूद्ध

1. कार्यपालन अभियंता (संचालन एवं संधारण) संभाग,
छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड, बेमेतरा।
2. सहायक अभियंता,
छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड,
उपसंभाग, बेमेतरा।

अनावेदकगण

आदेश

आज दिनांक 31 / 08 / 2026 को पारित किया गया

1. प्रकरण का संक्षिप्त विवरण

आवेदक द्वारा अपने घरेलू विद्युत कनेक्शन में अनियमित विद्युत आपूर्ति एवं बार–बार विद्युत कटौती होने के संबंध में शिकायत प्रस्तुत की गई है।

2. उपभोक्ता द्वारा के शिकायत का विवरण

आवेदक के अनुसार उसके क्षेत्र में विद्युत आपूर्ति नियमित नहीं है, जिसके कारण उसे कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है।

आवेदक द्वारा फोरम के समक्ष विद्युत आपूर्ति को नियमित एवं सुचारू किए जाने तथा उसके वर्तमान में स्थापित सिंगल फेस घरेलू विद्युत कनेक्शन को थ्री फेस कनेक्शन में परिवर्तित करने हेतु पूर्व में दिए गए आवेदन पर तत्काल आवश्यक कार्यवाही किए जाने का अनुरोध किया गया।

3. निर्विवाद तथ्य

मामले में उभय पक्षों के मध्य निम्नलिखित तथ्यों पर कोई विवाद नहीं है :–

1. आवेदक का विद्युत कनेक्शन घरेलू प्रयोजन हेतु सिंगल फेस कनेक्शन के रूप में स्थापित है।

2. उक्त कनेक्शन का स्वीकृत भार 4 किलोवाट है।

3. अनावेदकगण का कथन

अनावेदकगण द्वारा प्रस्तुत उत्तर में बताया गया है कि दिनांक 15.05.2026 को सुंदर नगर फीडर क्षेत्र में प्रतिकूल मौसम, तेज आंधी, भारी वर्षा, मानसून प्रभाव एवं तेज हवा के कारण विद्युत आपूर्ति बाधित होने की स्थिति निर्मित हुई थी। मौसम संबंधी परिस्थितियों के कारण विभिन्न स्थानों पर तकनीकी फॉल्ट उत्पन्न हुए। इसके अतिरिक्त 220 के.वी. सप्लाई बाधित होने से भी फीडर प्रभावित रहा।

अनावेदकगण के अनुसार 33 के.वी. कोबिया इनकमिंग में ए.बी. स्विच जंपर कट होने के कारण रात्रि 22:39 बजे से 23:01 बजे तक विद्युत आपूर्ति प्रभावित रही। इसके अतिरिक्त 11 के.वी. सुंदर नगर फीडर में रात्रि 00:22 बजे से 00:30 बजे तक 11 के.वी., 200 के.वी.ए. ट्रांसफॉर्मर के जंपर कार्य हेतु परमिट लेकर आवश्यक सुधार कार्य किया गया। इस प्रकार संबंधित क्षेत्र की विद्युत आपूर्ति कुल लगभग 30 मिनट तक प्रभावित रही।

अनावेदकगण द्वारा बताया गया कि विद्युत विभाग द्वारा स्थिति की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए तत्काल सुधारात्मक कार्यवाही की गई तथा उसी दिन सभी प्रभावित उपभोक्ताओं की विद्युत आपूर्ति पुनः बहाल कर दी गई। फीडर एवं लाइन का आवश्यक मेंटेनेंस कार्य किया गया, जिसमें ए.बी. स्विच जंपर सुधार, ट्रांसफॉर्मर जंपर जोड़ना, टूटे हुए कंडक्टर एवं केबल का सुधार, डी.ओ. फ्यूज बदलना तथा लाइन में फंसे फ्लेक्स/पोस्टर हटाने का कार्य सम्मिलित

था। साथ ही अगले दिन लाइन की सुरक्षा एवं भविष्य में ट्रिपिंग को न्यूनतम करने हेतु आवश्यक ट्री ट्रिमिंग कार्य भी कराया गया।

अनावेदकगण के अनुसार विद्युत आपूर्ति में उत्पन्न बाधा प्राकृतिक एवं आकस्मिक तकनीकी कारणों से हुई थी, जिसे विभाग द्वारा त्वरित रूप से संज्ञान में लेकर न्यूनतम समय में सुधार कर विद्युत आपूर्ति सामान्य कर दी गई। वर्तमान में विद्युत उपभोक्ताओं को निर्बाध एवं गुणवत्तापूर्ण विद्युत आपूर्ति की जा रही है। इस संबंध में अनावेदकगण द्वारा आवश्यक दस्तावेज भी प्रस्तुत किए गए हैं।

अनावेदकगण द्वारा यह भी अवगत कराया गया है कि आवेदक द्वारा घरेलू कनेक्शन को सिंगल फेस से थ्री फेस करने हेतु दिए गए आवेदन पर आवश्यक कार्यवाही करते हुए थ्री फेस कनेक्शन प्रदान किया जा चुका है।

4. विचारणीय प्रश्न

मामले के समुचित निराकरण हेतु निम्नलिखित प्रश्न विचारणीय हैं :–

1. क्या आवेदक को उसके घरेलू विद्युत कनेक्शन पर नियमित विद्युत आपूर्ति प्राप्त हो रही है?

2. क्या आवेदक द्वारा दिए गए आवेदन पर कार्यवाही करते हुए उसके सिंगल फेस कनेक्शन को थ्री फेस कनेक्शन में परिवर्तित किया गया है?

5. विवेचना एवं निष्कर्ष

विचारणीय प्रश्न क्रमांक 1

आवेदक द्वारा अपने क्षेत्र में अनियमित विद्युत आपूर्ति एवं विद्युत कटौती की शिकायत प्रस्तुत की गई थी। अनावेदकगण द्वारा प्रस्तुत उत्तर एवं अभिलेखों से स्पष्ट है कि दिनांक 15.05.2026 को प्रतिकूल मौसम, तेज आंधी, भारी वर्षा तथा तकनीकी फॉल्ट के कारण विद्युत आपूर्ति बाधित हुई थी।

अनावेदकगण द्वारा ए.बी. स्विच जंपर, ट्रांसफॉर्मर जंपर, टूटे हुए कंडक्टर एवं केबल, डी.ओ. फ्यूज तथा अन्य तकनीकी कमियों का सुधार किया गया। साथ ही लाइन में फंसे फ्लेक्स/पोस्टर हटाने एवं ट्री ट्रिमिंग का कार्य भी कराया गया। विभाग द्वारा उसी दिन प्रभावित उपभोक्ताओं की विद्युत आपूर्ति बहाल कर दी गई।

अतःफोरम का यह निष्कर्ष है कि उक्त विद्युत बाधा प्राकृतिक एवं आकस्मिक तकनीकी कारणों से उत्पन्न हुई थी। अनावेदकगण द्वारा शिकायत के निराकरण हेतु तत्काल आवश्यक कार्यवाही की गई है। अतः वर्तमान में आवेदक को विद्युत आपूर्ति सुचारू रूप से प्राप्त हो रही है।

विचारणीय प्रश्न क्रमांक 2

इस संबंध में अनावेदकगण द्वारा स्पष्ट रूप से अवगत कराया गया है कि आवेदक से प्राप्त आवेदन पर आवश्यक कार्यवाही करते हुए उसके वर्तमान में स्थापित सिंगल फेस घरेलू विद्युत कनेक्शन को थ्री फेस कनेक्शन में परिवर्तित कर दिया गया है।

अतः यह स्पष्ट है कि आवेदक के आवेदन पर विभाग द्वारा आवश्यक कार्यवाही की जा चुकी है तथा उसे थ्री फेस कनेक्शन प्रदान किया जा चुका है।

6. आदेश

1. उपरोक्त विवेचना एवं निष्कर्ष के आधार पर फोरम इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि आवेदक की अनियमित विद्युत आपूर्ति एवं विद्युत कटौती संबंधी शिकायत का अनावेदकगण द्वारा आवश्यक तकनीकी कार्यवाही करते हुए निराकरण किया जा चुका है। वर्तमान में विद्युत आपूर्ति सामान्य रूप से की जा रही है।

2. यह भी पाया गया कि आवेदक द्वारा सिंगल फेस कनेक्शन को थ्री फेस कनेक्शन में परिवर्तित करने हेतु दिए गए आवेदन पर अनावेदकगण द्वारा कार्यवाही करते हुए थ्री फेस कनेक्शन प्रदान किया जा चुका है।

3. अतः आवेदक की शिकायत का निराकरण हो जाने के कारण प्रकरण को निराकृत किया जाता है।

4. यदि आवेदक/उपभोक्ता इस आदेश से संतुष्ट न हो, तो वह इस आदेश की दिनांक से 45 दिवस के भीतर माननीय विद्युत लोकपाल, छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग, आयोग परिसर, सिंचाई कॉलोनी, शांति नगर, रायपुर (छ.ग.) के समक्ष नियमानुसार अपील प्रस्तुत कर सकता है।

5. आदेश पारित किया गया।

आदेश मेरे द्वारा बोलकर टंकित कराया गया।

(ममता कश्यप)
सदस्या
विद्युत उपभोक्ता शिकायत
निवारण फोरम दुर्ग

(पी.वी. संजीव)
अध्यक्ष
विद्युत उपभोक्ता शिकायत
निवारण फोरम दुर्ग